

15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक 8014-पीबीआर/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 22-6-2016
पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर प्र०क०
5 (1)2016-17 / 3328

मैसर्स एल्कोबू प्रायवेट लिमिटेड,

(फोरमर्ली ग्वालियर डिसीलर्स लिमिटेड)

रायरु फार्म आगरा मुम्बई रोड ग्वालियर-474010,

द्वारा : जनरल मैनेजर श्री पी०क्षी० मुरलीधरन

आत्मज स्व०श्री क्षी.क्षी.एस.नम्बीसन

निवासी रायरु फार्म ग्वालियर म०प्र०

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....प्रत्यर्थी

श्री आर०के०उपाध्याय, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/12/16 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 के अंतर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा 2 (सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-6-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

1027

OKR

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक 5(1)/2013-14/518 दिनांक 22-2-2014 के माध्यम से आबकारी आयुक्त को अवगत कराया गया कि मद्यभण्डागार, कटनी में माह अप्रैल 2014 से माह सितम्बर 2014 तक बोतल बन्द देशी मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध के अनुसार नहीं रखा गया है जिससे मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे। उक्त अनियमितताओं के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा पत्र क्रमांक 5(1)/14-15/3856 दिनांक 09-12-2014 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी इकाई द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया। आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 22-6-2016 को आदेश पारित कर अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों, टेण्डर तथा लायसेंसों की शर्तों का उल्लंघन पाते हुये रूपये 22,500/- शास्ति अधिरोपित की गई। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

- (1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है और न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है।
- (2) अपीलार्थी इकाई द्वारा प्रदाय व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखा गया है, ऐसी स्थिति में उस पर अधिरोपित शास्ति नितांत अवैध एवं अनुचित है।
- (3) अपीलार्थी द्वारा लायसेंस की किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, बल्कि लायसेंस की शर्तों का विधिवत् पालन कर जो कार्यवाही की गई है, उससे सरकार को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी पर शास्ति अधिरोपित की गई है, अतः आबकारी आयुक्त का आदेश सकारण नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

[Signature]

[Signature]

(4) राज्य सरकार को क्या हानि हुई है ? इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जिसे सिद्ध नहीं किया गया है, इसलिये प्रमाण भार के अभाव में शासन को हुई हानि की कल्पना नहीं की जा सकती है । इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अपीलार्थी इकाई द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर विचार किये बिना और उनका आदेश में उल्लेख किये बिना आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी इकाई द्वारा रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं समस्त धारिता की भरी बोतलों का निर्धारित न्यूनतम संग्रह से कम संग्रह रखा गया है, ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, अतः आबकारी आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आबकारी आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा मध्यभाण्डागार में रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं समस्त धारिता की भरी बोतलों का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है, इस कारण चालान लंबित रहे हैं, जिनका उल्लेख आबकारी आयुक्त द्वारा अपने आदेश में किया गया है । अतः स्पष्टतः जहाँ अपीलार्थी इकाई द्वारा टेण्डर एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया है वहीं अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों का भी उल्लंघन किया गया है, ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा तर्कों में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा न्यूनतम संग्रह नहीं रखने से शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, इसलिये उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है । इस संबंध में

जहाँ आधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान हो और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी इकाई द्वारा किया जाता है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है। अतः आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-06-2016 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।

7/ यह आदेश अपील प्रकरण क्रमांक 8015-पीबीआर/16, अपील प्रकरण क्रमांक 8016-पीबीआर/16, अपील प्रकरण क्रमांक 8017-पीबीआर/16, अपील प्रकरण क्रमांक 8018-पीबीआर/16, अपील प्रकरण क्रमांक 8019-पीबीआर/16, अपील प्रकरण क्रमांक 8020-पीबीआर/16, अपील प्रकरण क्रमांक 8021-पीबीआर/16, अपील प्रकरण क्रमांक 8022-पीबीआर/16, अपील प्रकरण क्रमांक 8023-पीबीआर/16 पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त अपील प्रकरण में संलग्न की जाये।


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर